निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या **DFO-76** वर्ष **2017-18**

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रभागीय वनाधिकारी हरिद्वार** के माह 02/ 2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री शरत श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 18-08-2017 **से** 26-08-2017 तक श्री सुनील कल्ला वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री.**सुनील सिन्हा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री जी0के0बत्रा सुपरवाईजर** द्वारा दिनांक 03-01-2016 से 04-02-2016 तक श्री **पी0एस0रावत** वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2011 से 01/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः **इकाई द्वारा वनीकरण एवं लधु तथा वृहद निर्माण कार्य से सम्बन्धी कार्य कराये जाते है।**
3. (इकाई द्वारा संचा लत योजनाओं सहित क्रयाकलाप तथा भौगो लक अ धकार क्षेत्र बताया जाय)

इकाई द्वारा केन्द्र पुरोनिर्धारित, राज्य योजना, जिला योजना एवं जमा योजनाओ से सम्बन्धित कार्य किये जाते है

(ii) (अ) **<u>राजस्व का विवरण:</u>** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का व्यौरा निम्नवत है :

<u>वर्ष</u>	<u>अर्जित राजस्व (रू लाख में)</u>
2014-15	483.13
2015-16	725.71
2016-17	336.92

(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य	बचत
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `	(+) `	(-) `
2014-15	---------	-------	840.11	840.11	586.97	586.97	-----	
2015-16	---------	------	799.57	799.57	410.77	410.77	-----	
2016-17	---------	-------	862.63	862.63	368.72	368.72	-----	

(iii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई **केन्द्र से, राज्य से, जिला योजना एवं बाहरी संस्थाओ से निधि प्राप्त करता है तथा ए** श्रेणी (जिस श्रेणी के अन्तर्गत इकाई आती है, उसे इं गत कया जाय) की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. प्रमुख वन संरक्षक 2.अपर प्रमुख वन संरक्षक 3 मुख्य वन संरक्षक 4. वन संरक्षक 5. प्रभागीय वनाधिकारी

(संगठनात्मक ढांचा स चव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रद र्शत कया जाय)

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में** प्रभागीय वनाधिकारी हरिद्वार के लेखा अभिलेखो की जॉच की गयी जिसमें माह 02/2016 से 03/2017 तक के लेखाअभिलेखो की जॉच की गयी । विस्तृत जॉच हेतु माह 03/2017 का चयन किया गया तथा अंकगणितीय जॉच हेतु माह 03/2016 का चयन किया गया था। इस लेखापरीक्षण के अन्तर्गत समस्त लीज सम्बन्धी पत्रावली, वन जमा से सम्बन्धित अभिलेख, कैम्पा योजना एवं नमामि गंगे योजना की पत्रावलीयों की विशेष रूप से जॉच की गयी । इसके अतिरिक्त केन्द्रपुरोनिर्धारित, राज्य योजना एवं जिला योजना की पत्रावलीयों की भी जॉच की गयी थी ।(जिस योजना का चयन कया गया उसका नाम अंकत कया जाय) का वस्तृत वश्लेषण कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 18 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II 'अ'</u>

(इस भाग में निय मतता से संबं धत मामले/व शष्ट वषयों के मामले एवं औ चत्य से संबं धत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मि लत कये जांय)

1- शून्य

<u>भाग-II 'ब'</u>

1. प्रस्तर–1 डी0सी0एल0 में जमा राशि रू 149.89 लाख को पुर्नवैघ न कराया जाना
2. प्रस्तर–2 कैम्पा गठन से पूर्व की अवशेष राशि रू 300.34 लाख को कैम्पा निधि में जमा न किया जाना
3. प्रस्तर–3 लीज भूमि 1.27 हे0 का अनाधिकृत अधिग्रहण

(इस भाग में निय मतता तथा औ चत्य दोनों से संबं धत प्रासं गक लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मि लत होंगे। यदि सम्भव हो, तो लेखापरीक्षा निष्कर्षों को उनके महत्व तथा व शष्टता के आधार पर घटते क्रम में बनाया जाय)

भाग 2–ब

प्रस्तर–1 डी0सी0एल0 में जमा राशि ` 149.89 लाख को पुर्नवैघ न कराया जाना

प्रमुख वन संरक्षक नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्घन उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र सं0 890/3–2 एफ0डी0 दिनांक 17/11/2015 द्वारा प्रभाग को वर्ष 2000–01 से 2007–08 तक डी0सी0एल0 में जमा राशि को पुर्नवैध कराये जाने के लिये प्रस्ताव दिसम्बर 2015 तक प्रस्तुत करने के लिये कहा गया था। पत्रावली के निरीक्षण में पाया गया कि प्रभाग द्वारा दो वर्ष पुराना अगस्त 2013 की छायाप्रति जिसमें ` 32.09 लाख की डी0सी0एल0 की धनराशि का उल्लेख था, नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी गयी। किन्तु प्रमुख वन संरक्षक के पत्रांक 1645/3–2 दिनांक 25 फरवरी 2016 कि द्वारा प्रभाग को अवगत कराया गया था कि मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार ` 149.89 लाख की धनराशि वन जमा में अवशेष है जिसको पुर्नवैध किया जाना था। इस सम्बन्ध में प्रभाग द्वारा न तो पुर्नवैध हेतु राशि का मिलान प्रमुख वन संरक्षक द्वारा बतायी गयी धनराशि से कराया गया और न ही वर्ष 2013 के बाद इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार किया गया । जिस कारण लेखापरीक्षा तिथि तक (अगस्तर 2017) राशि प्रभाग स्तर पर पुर्नवैध हेतु लम्बित पडी हुयी थी।

इस सम्बन्ध में इकाई से पूछने पर बताया गया कि उच्च स्तर को कार्यवाही हेतु पत्र निर्गत किया जा रहा है। तथा पुर्नवैध हेतु राशि के मिलान के सम्बन्ध में इकाई द्वारा अपना कोई भी प़क्ष प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः डी0सी0एल0 में जमा राशि रू 149.89 लाख की राशि को पुर्नवैध हेतु लम्बित पडे रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर–2 कैम्पा गठन से पूर्व की अवशेष राशि ` 300.34 लाख को कैम्पा निधि में जमा न किया जाना

मुख्य वन संरक्षक के पत्र सं0 5091/3–5–4 दिनांक 07 मई 2006 के आदेशानुसार कैम्पा गठन से पूर्व याचक विभाग द्वारा गैर वानिकी कार्यो (क्षतिपूरक वृक्षारोपण) के लिये उपलब्ध करायी गयी राशि को कैम्पा गठन के पश्चात कैम्पा निधि में जमा किया जाना था। अभिलेखों के निरीक्षण में पाया गया कि वर्ष 2002–03 से 2006–07 तक क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रभाग द्वारा प्राप्त राशि ` 1804.93 लाख थी। जिसके विरूद्व प्रभाग द्वारा ` 1294.27 लाख की राशि का व्यय कर दिया गया था। अवशेष राशि ` 510.66 लाख में से कैम्पा गठन के बाद अगस्त 2011 तक प्रभाग द्वारा ` 210.34 लाख जमा किया जा चुका था । किन्तु वर्तमान तक अवशेष राशि `300.34 लाख की राशि को कैम्पा निधि में जमा किया जाना अवशेष था।

इस सम्बन्ध में इकाई से पूछने पर बताया गया कि समय समय पर वन विकास निगम द्वारा दी गयी राशि को कैम्पा निधि में हस्तान्तरित किया गया । तथा ` 32.09 लाख वन जमा में पुर्नवैध हेतु रोकी गयी राशि, अतिरिक्त मदों में रू 4.50 लाख की अवशेष राशि तथा खनन मद में ` 27.58 लाख की अवशेष राशि को जमा किया जाना अवशेष है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अभिलेखों के अनुसार इकाई के पास कैम्पा निधि में जमा किये जाने हेतु अवशेष राशि ` 300.34 लाख थी। जिसका मिलान प्रभाग द्वारा नहीं कराया जा सका । तथा खनन मद में कितनी राशि कैम्पा निधि में जमा की जा चुकी थी इसका भी लेखा प्रभाग स्तर पर उपलब्ध नहीं कराया जा सका। अतः बिना लेखे के मिलान के मात्र यह कहना कि उक्त राशि ही जमा किया जाना अवशेष था मान्य नहीं था।

अतः प्रभाग स्तर पर अवशेष राशि ` 300.34 लाख की लम्बित राशि को कैम्पा निधि में जमा न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर–3 लीज भूमि 1.27 हे0 का अनाधिकृत अधिग्रहण

वन विभाग द्वारा लीज पर दी गयी भूमि को लीज समाप्ति पर या तो उसका अधिग्रहण कर लेना चाहिये या उसका नवीनीकरण कर देना चाहिये। तथा लीज पर दी गयी भूमि का प्रीमियम और प्रति वर्ष किराया भी प्राप्त करना चाहियें। अभिलेखों के निरीक्षण में पाया गया कि निम्न भूमि जिसको लीज पर दी गयी थी का न तो नवीनीकरण किया गया और न ही अधिग्रहण किया गया–

(अ) श्यामपुर रेंज के क्षेत्रान्तर्गत चाण्डी वन ब्लॉक में चण्डी निचला मन्दिर के लिये 0.47 हे0 मन्दिर एवं महन्त के आवास के लिये वर्ष 1927 में लीज स्वीकृति की गयी थी। वर्तमान में उक्त लीज स्वामी की मृत्यु के बाद अपंजीकृत पटटा स्वामीयों के नाम कर दी गयी। जो नियमों के विरूद्व थी तथा इस भूमि का व्यवसायिक उपयोग भी किया जा रहा था।

(ब) चण्डी–8 के अन्तर्गत गौरी शंकर मन्दिर की गौशाला की लीज वर्ष में 0.60 हे0 की वन भूमि स्वीकृति की गयी थी। जिसका वर्ष 1969 तक नवीनीकरण हुआ था। वास्तविक लीज धारक की मृत्यु के पश्चात वर्ष 2000 में अन्य के द्वारा लीज नवीनकरण के लिये प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। जिस पर भारत सरकार द्वारा जून 2000 में सैद्वान्ति स्वीकृति दे भी दी गयी थी। किन्तु अभिलेखानुसार गलत दस्तावेज तैयार कर तथा अन्य जगह का सर्वे कराकर उच्च्य स्तर को प्रेषित किया गया था। जिसके आधार पर सैद्वान्ति स्वीकृति दी गयी थी। वर्तमान में लीज धारक जीवित भी नहीं थें तथा लीज का नवीनीकरण भी नहीं हुआ था। वर्ष 2014 में लीज को निरस्त करने के लिये प्रभाग द्वारा अनुरोध भी किया गया था। किन्तु वर्तमान तक कोई भी अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी तथा वर्तमान में **अना धकृत** रूप से 0.60 हे0 भूमि अधिग्रहित थी।

(स) श्री सेवादास सिद्वबली मन्दिर को धर्मशाला गोशाला एवं सत्संग भवन निर्माण हेतु 30 वर्षो हेतु 0.20 हे0 वन भूमि लीज पर वर्ष 1975 में दी गयी थी। अभिलेखों के निरीक्षण में पाया गया कि लीज भूमि पर बिना स्वीकृति के दुकानों का निर्माण किया गया तथा किराये पर दिया गया था। वर्ष 2009 में प्रभाग द्वारा लीज के नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। जिस पर नोडल अधिकारी द्वारा कुछ आपत्तियों के साथ प्रस्ताव वापिस कर दिया गया था। जिस पर कार्यवाही वर्तमान तक लम्बित थी।

उपरोक्त तीनों लीजो के सम्बन्ध में इकाई से पूछने पर बताया गया कि उच्चाधिकारियों से आदेश लेकर कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान तक पत्रालेख के अनुसार कोई भी कार्यवाही **प्रभाग द्वारा** नहीं की गयी ।

अतः प्रभाग **द्वारा** लीज पर दी गयी भूमि 1.27 हे0 (0.47+0.60+0.20) के अनाधिकृत अधिग्रहण का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
2005-06	**00**	02
2006-07	**02**	00
2007-08	**00**	03
2011-12	**00**	02
2012-15	**03**	01

व्यय से संबंधी :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
-	-	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निस्पादित अच्छे कार्य-टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निस्पादित अच्छे कार्य- टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु .**प्रभागीय वनाधिकारी हरिद्वार वन प्रभाग हरिद्वार** तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

   (i) शून्य

   (ii)

2. सतत् अनिय मतताएः

3. **शून्य**

4. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	**श्री एच0के0सिंह**	**प्रभागीय वनाधिकारी**

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति प्रभागीय वनाधिकारी हरिद्वार वन प्रभाग हरिद्वार को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (संबं धत क्षेत्र का नाम) को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/लेखापरीक्षा अ धकारी